जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम जल सुरक्षा योजना एवं संरक्षण

(Water Safety and Security Plan) WSP , Meerut

सहयोगी संस्था -

पृष्ठभूमि

संशोधित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) जल शक्ति मंत्रालय के साथ आयोजित किया जाता है. भारत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिये स्त्रोत विकास और जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना से ध्यान हटाकर ग्रामीण सुरक्षा योजना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। जिसमें स्थिरता के आधार पर सुविधाजनक स्थान पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जलापूर्ति प्रणाली की योजना और स्थापना करने से पहले ग्राम सुरक्षा योजना भी शामिल है। मूलरूप से यह समग्र जल संसाधन प्रबंधन के एक भाग के रूप में पेयजल के प्रावधान की परिकल्पना करता है।

लॉजिस्टिक सपोर्ट की आवश्यकता

डब्लू.एस.पी और राज्य ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के फील्ड स्टाफ को नई गाइडलाइन के अनुसार डब्लू.एस.पी तैयार करने में सक्षम बनाने के लिये और राज्यों में मौजूदा संस्थागत सेट के अनुसार निम्नलिखित लॉजिस्टिक सपोर्ट की आवश्यकता है और यह पूर्व अपेक्षित है।

- जल गुणवत्ता निगरानी के ढाँचे के वहत नये दिशानिर्देश (एन.आर.डी.डब्लू.पी) मे यह उपशीर्षक प्रस्तावित रणनीति के तहत इंगित किया गया है "घरेलू स्तर पर और आवास स्तर" पर डेटा संग्रह के लिये एक व्यक्ति अधिमानत. डब्ल.एस.पी से निर्वाचित महिलायें ग्राम सभा में जी.पी. के नियन्त्रण में और निर्दिष्ट गतिविधियों के लिये नौकरी के आधार पर उचित भुगतान किया चयनित व्यक्ति को जल सुरक्षा के रूप मे नामित किया जायेगा।
- पानी समिति (नई गाइडलाइन में जल जीवन मिशन) के समूह के साथ ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण उपखण्ड स्तर पर सभी ग्राम–वार पेयजल स्त्रोतों (रासायनिक और वैक्टीरियांलॉजिकल) के परीक्षण के लिये किया जाना है जहाँ से हाउसहोल्ड पानी इकट्ठा करता है।
- ग्राम जल संसाधन मानचित्रों के विकास के लिये गाँवों में जल संसाधनों की पहचान के लिये जी.पी. एस. उपकरण (एम.आई.एस दिशानिर्देश के तहत किये गये प्रावधान) की खरीद की जानी है।
- एन.आर.एच.एम. से पानी और स्वच्छता सम्बन्धी आँकडे एकत्र करे ताकि संदूषण के स्त्रोत की पहचान के लिये स्वच्छता निरीक्षण किया जा सके और उपचारात्मक उपाय किये जा सके।
- एन.आर.एच.एम. के डेटा के साथ उप–मंडल स्तर पर विश्लेषण किये गये घरेलू और गाँव के डेटा, जल निगम ग्रामीण के फील्ड स्टाफ के तकनीकी मार्गदर्शन में डब्लू.एस.सी. को ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने में सक्षम करेगा जिसमें जल सुरक्षा योजना शामिल है मूल रूप से स्त्रोत के लिये पहचान है संदूषण (खतरे का विश्लेषण) के लिये मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली के लिये सुधारात्मक उपाय करना ।
- ग्राम जल सुरक्षा योजना के आधार पर सभी पदाधिकारियों के परामर्श से जलापूर्ति योजना के नवीन/आवर्धन की कार्ययोजना तैयार की जानी है।

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–कल्याणपुर
वि०ख०–रोहटा (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner

अंतर विभागीय अभिसरण --

i. राज्य भूजल बोर्ड, राज्य जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग और पीएचईसी से ग्राम सुरक्षा योजना तैयार करने की अवश्यकता होगी क्योंकि इन विभागों के पास काफी हद तक सूक्ष्म स्तर के आकड़े है सीजीडब्लयूब और एचआरएसए डेटा व्यापक आधारित, ब्लाक आधारित है और गाँव स्तर की जल सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए मौजूदा जानकारी और मानचित्रो को समझने और उनका विशलेषण करने के लिए अत्यधिम विशिष्ट जल विज्ञानी की आवश्यकता होती है।

ii. पानी और स्वछता रोग के बोझ और उपाचारत्मक उपायों को समझने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन के ग्राम स्तर के पदाधिकारियों के साथ समन्वय अत्यन्त आवश्यक है।

iii. समुदाय को वर्तमान जल उपलब्धता, विश्वसनीयता और उसके विभिन्न उपयोग और अनुभव और ज्ञान के आधार पर सामान्यतः को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम जल सुरक्षा योजना विकसित करनी चाहिए। ग्राम स्तर पर जल संसाधन (स्वतः और भूजल दोनों) को मापा नहीं जा सकता, इसे केवल पर्याप्त और अपर्याप्त के रूप में ही आका जा सकता है।

iv. महिलायें आमतौर पर घरेलू पानी का प्रबन्ध करती है और सामुदायिक भागीदारी का एक अनिवार्य घटक लोकतान्त्रिक निर्माण लेने की प्रकिया में महीलाओं की भागीदारी में सुधार करना है चूंकि इस कार्यक्रम की प्रमुख लाभार्थी और ये धूरी है जिसके चारों ओर स्थिरता विकसित हुई है, यह महत्वपूर्ण महत्व है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की योजना, कार्यव्वन्यन और प्रबन्धन के सभी चरणों में महिलायें शामिल है। महिलासंघ सामूदायिक भागीदारी के लिए एक मजबूत ढ़ाचा प्रदान कर सकते है। ग्राम जल एवं स्वछता समीतियों/पानी समीतियों में वस्ती की प्रमुख महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

v. सामुदाय को एक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम जल और स्वछता समीति (जिनके सदस्य ग्राम सभा में चुने जाना चाहिये) को पूर्ण रूप से कार्यत्मक और प्रभावी वीडब्लूएससी को ग्राम पंचायत की स्थायी समिति बनाना महत्वपूर्ण है।

4. सुझाव प्रारूप

4.1. सामान्य प्रोफाइल

S.No.	Census Parameter	Census Data
1	ग्राम पंचायत	कल्याणपुर
2	ब्लॉक	रोहटा
3	कुल जनसंख्या	3800
4	घरों की कुल संख्या	300
5	महिला जनसंख्या	1000
6	कुल साक्षरता दर	
7	महिला साक्षरता दर	
8	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	
9	अनुसूचित जाति जनसंख्या	
10	कार्य करने वाली जनसंख्या	
11	बच्चा (0–6) 2011 तक जनसंख्या	337

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–कल्याणपुर
वि०ख०–रोहटा (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner

4.2 आवास विवरण

क्र.सं.	बसावट का नाम	बसावट का कोड	जनसंख्या(संख्या में)	सार्वजनिक और निजी पेयजल स्रोतों की संख्या	परिवारों की संख्या			
					एससी	एसटी	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1)								
2)								
3)								
4)								
5)								
6)								
7)								

4.3 घरेलू जल सुरक्षा योजना सर्वेक्षण प्रारूप

ब्लाक :

ग्राम:

पंचायत :

ग्राम :

निवास :

I	मूलभूत जानकारी					
1	घरेलू मुखिया का नाम					
2	श्रेणी (बीपीएल,एपीएल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/अन्य से संबंधित					
3	परिवार के सदस्यों की संख्या	पुरूष	महिला	बच्चे	कुल	
B	स्रोत					
4	पानी का स्रोत (सार्वजनिक,निजी)					
5	यदि सार्वजनिक है, तो स्रोत के प्रकार					
	स्पॉट स्रोत	पीडब्लूएसएसी	स्ट्रीट स्टैंड पोस्ट पी (पीडब्ल्यूएस)(6)	हाउस कनेक्शन	अन्य निर्दिष्ट करें	
6	यदि निजी प्रकार का स्रोत		स्पॉट स्रोत	तलाब/वसंत आदि	अन्य	
7	घर और जल स्रोत बिंदु के बीच की दूरी मीटर में(100मीटर से नीचे–200मीटर–1,200––500मीटर–2,500मीटर–3 से ऊपर					
8	क्या पानी की उपलब्धता पूरे वर्ष होती है(हाँ– 1, नहीं––2)					
9	यदि नहीं, तो कितने माह तक सूखा/अपर्याप्त रहता है					

कार्य सेवा

वि०ख०–रोहटा (मर०)

Scanned with OKEN Scanner

8. तकनीकी विकल्पों के चयन के लिए सामुदायिक परामर्श

एचएच सर्वेक्षण के पूरा होने और डेटा के संकल्प के बाद, सभी सुविधाकर्ता सर्वेक्षक तकनीकी संसाधन व्यक्ति और पी.एच.ई.डी. इन्जीनियर सामुदायिक के सदस्यों पीआरआई सदस्यों और वीडब्लूएससी/ग्राम के सदस्यों के साथ एक ग्राम बैठक आयुजित करेंगे जल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना को विकसित करने के लिए सुविधाकर्ताओ द्वारा भागीदारी तकीनीको का उपयोग किया जायेगा।

- ग्राम सभा का उद्देश्य इस प्रकार है–
- समस्या की पहचान
- समस्या विश्लेषण
- समाधान के लिए योजना
- विकल्प चुनना
- व्यक्तिगत स्तर के साथ–साथ सामुदायिक स्तर पर पूंजी और संचालन चौर रख–रखाव लागत के साथ विकल्पो को अन्तिम रूप देना।
- गाँव के अन्दर जलापूर्ति के योजनाओं के प्रबन्ध के लिए तंत्र को अन्तिम को रूप देना ओर ओ एड एम लागत साझा करने के लिए नियम विकसित करना और समान जल वितरण के लिए विनियमन
- स्रोत स्थिरता उपायों को अतिम रू देना पुनर्भरण संरचनाओं को मापता है – RWSS
- जीपी/ वीडब्लूएससी सदस्यों, पंप आपरेटरों, यांत्राकी, वार्टरमैन, इन्जीनियरों के लिए क्षमता निर्माण योजना को

ग्राम कार्य योजना के विकास के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना है–

वहाँ तकनीकी व्यक्ति/पीएचइडी व्यक्ति समुदाय द्वारा चुने गये सभी विकल्पो के लिए तकनीकी और वितीय विवरणो की व्यख्या करेगा(स्रोत स्थिरता, विकल्प की व्यवहार्यता, भूविज्ञानिक स्थितियाँ, पूँजीगत लागत, प्रतिवर्ष ओ एड एम लागत, वर्शा जल संचयन पूंजीगत लागत और समुदाय और वीडब्लूएससी को संस्थागत और व्यक्तिगत स्तिर पर प्रबंधन लागत, पानी का अंतर उपयोग आदि)

चर्चा के आधार पर वीडब्लूएससी गाँव और व्यक्तिगत स्तर विकल्पों को अंतिम रूप देगा अंतिम विकल्पों को सुविधाकर्ता द्वारा पूँजी, प्रबंधन और ओ एड एम लागत और उनके तंत्र के विवरण के साथ सूचिबद्ध किया जायेगा। गाँव में प्रत्येक व्यक्ति को पानी के समान वितरण के नियम ही बनाये जायेगें और उनपर चर्चा कि जायेगी।

समुदाय और वीडब्लूएससी/ग्रामपंचायत स्रोत और योजनाओं के प्रबन्धन और ओ एड एम और पानी के समान वितरण के तंत्र को अन्तिम रूप देंगे जिम्मेदारी साझा करने के लिए सहनत होंगें बनाये गये नियम/विकसित तंत्र ग्राम स्तरीय कार्य योजना का हिस्सा होगे।

सहभागी ग्रमीण मूल्याकन (पीआरए) मानचित्र तैयार करना

उपलब्ध प्राथमिक सूचना के आधार पर पेयजल स्रोतों के साथ–साथ स्कूलों, अस्पतालों आदि जैसे महत्वपूर्ण भूमि चिन्हों को दर्शानेवाले ग्राम स्तर के पीआरए मानचित्र तैयार किये जायेगे। एक पीआरए (सहभागी ग्रामीण मूल्याकन) एक गहन, व्यवस्थित, लेकिन अर्थ संरचित सीखने का अनुभव है जो आमतौर पर समुदाय के साथ प्राथमिक अभिनेताओ के साथ बहु–विषयक टीम द्वारा किया जाता है पीआरएके उपकरण ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग सहभागितापूर्ण तरीके से जानकारी एकत्र करने, संप्लेषित करने और विशलेषण करने के लिए किया जाता है। उपकरण का चयन और उसका विकास और क्षेत्र की स्थिति के उद्देश्य के अनुसार किया जाता है।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–कल्याणपुर
वि०ख०–राहटा (मेरठ)

Scanned with OKEN Scanner